सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 320/2018 दायर दिनाँक 12.09.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. लुकमानखाँ पुत्र भूरखाँ उर्फ मौला बगसखाँ, उम्र–45साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गनी मोहम्मद पुत्र अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 2. कादरखाँ पुत्र अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 3. सहादतअली पुत्र अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 4. जैना पत्नी अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 5. बरकत पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 6. रूकिया पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 7. आमना खातून पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 8. फातमा पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 9. अफरोज पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, 10. निजामखाँ पुत्र भूरखाँ उर्फ मौला बगसखाँ, 11. ईजाज मोहम्मद पुत्र भूरखाँ उर्फ मौला बगसखाँ, 12. सुलेमान पुत्र अला बगस खाँ, 13. प्यार मोहम्मद पुत्र अलाबक्सखाँ, 14. हबीबुला पुत्र अलाबक्सखाँ, 15. अब्दुल रहमान पुत्र ज्यान मोहम्मद, 16. जियाउदीन पुत्र ज्यान मोहम्मद, 17. अब्दुल अजीज पुत्र ज्यान मोहम्मद, 18. मकसुदा पुत्री ज्यान मोहम्मद, 19. सलामत पुत्री उमरदीन, 20. मरेमा पुत्री उमरदीन, 21. जोरा पुत्री भूरखाँ उर्फ मौलाबगस, 22. खलील अहमद पुत्र नानूखाँ, 23. इब्राहिम पुत्र नानूखाँ, 24. रसीद पुत्र नानूखाँ, 25. इशाक पुत्र नानूखाँ, 26. बेगमा पुत्री नानूखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		27. सबीना पुत्री नानूखाँ, 28. इस्लाम पुत्री नानूखाँ, 29. रजिया पुत्री नानूखाँ, 30. सकीला पुत्री नानूखाँ, 31. ऐमना पुत्री भूरखाँ उर्फ मौलाबक्स, 32. जुबेदा पुत्री भूरखाँ उर्फ मौलाबक्स, 33. फारूक पुत्र मौलादीन, 34. लुकमानखाँ पुत्र मौलादीन, 35. जुबेदा पुत्र मौलादीन, 36. खुदेजा पुत्री मौलादीन, 37. सकीना पुत्री मौलादीन, 38. हलीमा पुत्री मौलादीन, 39. आमना पुत्री मौलादीन, 40. हकीमखाँ पुत्र फरीदखाँ, 41. युसुफखाँ पुत्र फरीदखाँ, 42. बरकतअली पुत्र फरीदखाँ, 43. एहसान पुत्र फरीदखाँ, 44. मोहम्मदअली पुत्र फरीदखाँ, 45. गनीखाँ पुत्र अलाबक्सखाँ, 46. उस्मान पुत्र अलाबक्सखाँ, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादीगण संख्या 33 ता 39 तक, हाल,निवासी–अम्बाली, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान व प्रतिवादीगण संख्या 40 ता 44 निवासी–हमीदपुर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान तथा प्रतिवादीगण संख्या 45 व 46 निवासी–बरनेल, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 47. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 320/2018
दायर दिनॉक 12.09.2018, निर्णय दिनॉक 26.11.2018
लुकमानखॉं बनाम् गनी मोहम्मद, वगैरा।

उपस्थितः-

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, 21, 22, 24 ता 43 व 45 की ओर से।

-:: निर्णय ::-

दिनॉक **26.11.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 535 रकबा 29.14 बीघा, खसरा नम्बर 1065 रकबा 22.14 बीघा भूमि अवस्थित है तथा सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162 रकबा 13.18 बीघा, खसरा नम्बर 166 रकबा 02.10 बीघा, खसरा नम्बर 174 रकबा 03.10 बीघा अवस्थित है तथा सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 रकबा 29.05 बीघा भूमि अवस्थित है।

वादग्रस्त उपर्युक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 46 के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 रकबा 29.05 बीघा में वादी के पिता भूरखॉं 1/3 हिस्सा व वादी के पिता की बहिने खातेदार बिस्मिल्ला हाजरा का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 45 गन्नीखॉं का 07/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 46 उसमानखॉं का 1/16 हिस्सा वर्तमान खतौनी में दर्ज है जबकि वादी के पिता भूर खॉं द्वारा खातेदार बिस्मिल्ला व हाजरा को सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार उनका हक अदा कर दिया है तथा खातेदार गन्नीखॉं व उस्मानखॉं दोनों सगे भाई हैं इनका उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कभी भी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। मात्र कब्जा वर्तमान में वादी लुकमानखॉं का व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का ही हक अधिकार व कब्जाकाश्त है।

सरहद शैरानीआबाद के खसरा नम्बर 162, 166 व 174 वादी के पिता भूर खॉं द्वारा दिनॉक 01.05.1986 में शामिल ही थे, अलग-अलग नहीं हुए थे, इसलिए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 का उक्त तीनों खसरा नम्बर की भूमि में बराबर-बराबर हिस्सा बनता है।

खातेदार बिस्मिल्ला फौत हो चुकी है जिनके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 33 ता 39 है तथा खातेदार हाजरा फौत हो चुकी है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 320/2018
दायर दिनाँक 12.09.2018, निर्णय दिनाँक 26.11.2018
लुकमानखाँ बनाम् गनी मोहम्मद, वगैरा।

जिसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 40 ता 44 है तथा खातेदार उमरदीन फौत हो चुके हैं जिसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 15 व 20 है तथा खातेदार उमरदीन के पुत्रियाँ थी जिनमें प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 18 की माता मेमुना व प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20, वारिसान् हैं। वादी की बहिन जैना फौत हो चुकी है जिसके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 30 हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 को बन्टवारे में, सरहद शेरानीआबाद व मीणियाद में दे दिये गये हैं। इसलिए इनका यहाँ हक हिस्सा नहीं बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व प्रतिवादीगण संख्या 21 व 44 का सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हक अदा कर दिया है। इसलिए उक्त खसरान् की भूमि में इनका हक नहीं बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 45 व 46 का भूलवश उक्त खसरा की भूमि में नाम आ गया है जिसे हटाया जाना उचित है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज अवश्य है मगर मौखिक बन्टवारा हो चुका है, जो निम्न है:–

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 535 रकबा 29.14 बीघा में से रकबा 14.17 बीघा उत्तरी भाग प्रतिवादी संख्या 11 ईजाज मोहम्मद के व रकबा 14.17 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में है।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 रकबा 22.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 10 निजामखाँ के बन्ट में है।
3. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162 रकबा 13.18 बीघा में से रकबा 06.19 बीघा पूर्वी भाग वादी लुकमानखाँ के व रकबा 06.19 बीघा पश्चिमी भाग प्रतिवादीगण संख्या 11 ईजाज मोहम्मद के बन्ट में है।
4. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 166 रकबा 02.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में है।
5. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 174 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 10 निजामखाँ के बन्ट में है।
6. सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 रकबा 29.05 बीघा में से रकबा 14.13 बीघा उत्तरी भाग वादी लुकमानखाँ के व रकबा 14.12 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्तानुसार भूमि पक्षकारान् के कब्जाकाश्त में है मगर दिनॉक 10.09.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कब्जाकाश्त की भूमि से बेदखली की एलानियाँ धमकी दिये जाने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ। प्रार्थना वादी है कि, खाटूखुर्द व शेरानीआबाद तथा हमीदपुर की सरहद में वादग्रस्त निम्न भूमियों का बन्टवारा, मौखिक बन्ट व कब्जाकाश्त अनुसार, पक्षकारान् को खातेदार घोषित किया जावेः–

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 535 रकबा 29.14 बीघा में से रकबा 14.17 बीघा उत्तरी भाग प्रतिवादी संख्या 11 ईजाज मोहम्मद के व रकबा 14.17 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में है।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 रकबा 22.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 10 निजामखाँ के बन्ट में है।
3. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162 रकबा 13.18 बीघा में से रकबा 06.19 बीघा पूर्वी भाग वादी लुकमानखाँ के व रकबा 06.19 बीघा पश्चिमी भाग प्रतिवादीगण संख्या 11 ईजाज मोहम्मद के बन्ट में है।
4. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 166 रकबा 02.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में है।
5. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 174 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 10 निजामखाँ के बन्ट में है।
6. सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 रकबा 29.05 बीघा में से रकबा 14.13 बीघा उत्तरी भाग वादी लुकमानखाँ के व रकबा 14.12 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के बन्ट में है।
7. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 व 535 तथा सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162, 166 व 174 तथा सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 12 ता 46 तक का नाम हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 46 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 11, 15, 16, 20, 23, 44 व 46 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 14, 17 ता 19, 21, 22, 24 ता 43 की ओर से राजीनामा पेश हुआ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10, 12 व 13 की ओर से राजीनामा पेश हुआ।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10, 12 व 13 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा मुताबिक, अनुतोष वादीनुसार दावा डिक्री जावे तो उसमें राजीनामा है।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 590 / 473 खसरा नम्बर 1065 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 825 / 640 खसरा नम्बर 535 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम शेरानीआबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 42 / 37 खसरा नम्बर 162, 166 व 174 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा जमाबन्दी ग्राम हमीदपुर सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 43 / 24 खसरा नम्बर 276 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं व इसी अनुरूप दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 320/2018
दायर दिनाँक 12.09.2018, निर्णय दिनाँक 26.11.2018
लुकमानखाँ बनाम् गनी मोहम्मद, वगैरा।

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 535 रकबा 29.14 बीघा भूमि में से रकबा 14.17 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 11 को व रकबा 14.17 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 रकबा 22.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162 रकबा 13.18 बीघा भूमि में से रकबा 06.19 बीघा भूमि पूर्वी भाग का वादी को व रकबा 06.19 बीघा भूमि पश्चिमी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 166 रकबा 02.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 174 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 रकबा 29.05 बीघा भूमि में से रकबा 14.13 बीघा भूमि उत्तरी भाग का वादी को व रकबा 14.12 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 व 535 तथा सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162, 166 व 174 तथा सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 12 ता 46 तक का नाम हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉक **26.11.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **320/2018**

दायर दिनाँक **12.09.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लुकमानखाँ पुत्र भूरखाँ उर्फ मौला बगसखाँ, उम्र–45साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	**1.** गनी मोहम्मद पुत्र अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **2.** कादरखाँ पुत्र अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **3.** सहादतअली पुत्र अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **4.** जैना पत्नी अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **5.** बरकत पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **6.** रूकिया पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **7.** आमना खातून पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **8.** फातमा पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **9.** अफरोज पुत्री अलीबक्स उर्फ अलीखाँ, **10.** निजामखाँ पुत्र भूरखाँ उर्फ मौला बगसखाँ, **11.** ईजाज मोहम्मद पुत्र भूरखाँ उर्फ मौला बगसखाँ, **12.** सुलेमान पुत्र अला बगस खाँ, **13.** प्यार मोहम्मद पुत्र अलाबक्सखाँ, **14.** हबीबुला पुत्र अलाबक्सखाँ, **15.** अब्दुल रहमान पुत्र ज्यान मोहम्मद, **16.** जियाउदीन पुत्र ज्यान मोहम्मद, **17.** अब्दुल अजीज पुत्र ज्यान मोहम्मद, **18.** मकसुदा पुत्री ज्यान मोहम्मद, **19.** सलामत पुत्री उमरदीन, **20.** मरेमा पुत्री उमरदीन, **21.** जोरा पुत्री भूरखाँ उर्फ मौलाबगस, **22.** खलील अहमद पुत्र नानूखाँ, **23.** इब्राहिम पुत्र नानूखाँ, **24.** रसीद पुत्र नानूखाँ, **25.** इशाक पुत्र नानूखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

26. बेगमा पुत्री नानूखाँ,
27. सबीना पुत्री नानूखाँ,
28. इस्लाम पुत्री नानूखाँ,
29. रजिया पुत्री नानूखाँ,
30. सकीला पुत्री नानूखाँ,
31. ऐमना पुत्री भूरखाँ उर्फ मौलाबक्स,
32. जुबेदा पुत्री भूरखाँ उर्फ मौलाबक्स,
33. फारूक पुत्र मौलादीन,
34. लुकमानखाँ पुत्र मौलादीन,
35. जुबेदा पुत्र मौलादीन,
36. खुदेजा पुत्री मौलादीन,
37. सकीना पुत्री मौलादीन,
38. हलीमा पुत्री मौलादीन,
39. आमना पुत्री मौलादीन,
40. हकीमखाँ पुत्र फरीदखाँ,
41. युसुफखाँ पुत्र फरीदखाँ,
42. बरकतअली पुत्र फरीदखाँ,
43. एहसान पुत्र फरीदखाँ,
44. मोहम्मदअली पुत्र फरीदखाँ,
45. गनीखाँ पुत्र अलाबक्सखाँ,
46. उस्मान पुत्र अलाबक्सखाँ,
समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान,
निवासी–शेरानीआबाद,
तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान,
प्रतिवादीगण संख्या 33 ता 39 तक,
हाल,निवासी–अम्बाली,
तहसील–जायल,
जिला–नागौर, राजस्थान व प्रतिवादीगण संख्या 40 ता 44 निवासी–हमीदपुर,
तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान तथा प्रतिवादीगण संख्या 45 व 46 निवासी–बरनेल,
तहसील–जायल,
जिला–नागौर, राजस्थान,
47. तहसीलदार डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाँक **26.11.2018**

यह मुकदद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 19, 21, 22, 24 ता 43 व 45 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा ''बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के कर, इनकी वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 535 रकबा 29.14 बीघा भूमि में से रकबा 14.17 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 11 को व रकबा 14.17 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 रकबा 22.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162 रकबा 13.18 बीघा भूमि में से रकबा 06.19 बीघा भूमि पूर्वी भाग का वादी को व रकबा 06.19 बीघा भूमि पश्चिमी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 166 रकबा 02.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 174 रकबा 03.10 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 रकबा 29.05 बीघा भूमि में से रकबा 14.13 बीघा भूमि उत्तरी भाग का वादी को व रकबा 14.12 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1065 व 535 तथा सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 162, 166 व 174 तथा सरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 276 की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 व 12 ता 46 तक का नाम हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत...............
......–....................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.11.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner